


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यनारायण बनाम सत्यनारायण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 139/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>9.4.25</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>सत्यनारायण</u></p> <p>पिता श्री <u>र.व. जोड़ मोड़</u></p> <p>निवासी- <u>मोड़ खेड़ा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>चित्तौड़गढ़</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>866/1, 867/1, 868/1, 869/1, 843/1, 874/1, 875/1, 850/1, 852, 853</u></p> <p>कुल कीता <u>10</u> कुल रकबा <u>0.468</u> है0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी को आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>चित्तौड़गढ़</u> स्थित खातेदारों की भूमि आराजी नम्बर <u>866, 867, 868, 869, 843, 874, 875, 850, 852, 853</u></p> <p>कुल कीता <u>10</u> रकबा <u>0.468</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रूपये अक्षरे <u>रु. 5 हजार 2500</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <div style="text-align: right;">  (बीनू देवल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </div>